सं. 27016-10/2015-एसीयू (भाग)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
(कृषि संगणना प्रभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 24 मई, 2016

सेवा में,
श्री रामसुरेश वर्मा
जी-14, यूपीएसआईडीसी
सरोजनी नगर, कानपुर रोड़,
उत्तरप्रदेश

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना (दिनांक 28.4.2016 की पंजीकरण सं. डीओए एंड सी/आर/2016/00693)

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28.4.2016 की पंजीकरण सं. डीओए एंड सी/आर/2016/00693 के माध्यम से इस प्रभाग को दस्ती रूप से हस्तांतरित किए गए आपके आरटीआई का संदर्भ लेना है।

2. भारत में कृषि संगणना प्रचालनात्मक जोतों के ढांचागत पहलू पर डाटा एकत्रित करने के लिए पांच वर्षों के अंतराल पर संचालित किया जाता है (जिसे "संपूर्ण भूमि जो बिना किसी शीर्षक, कानूनी रूप, आकार या स्थिति के बारे में संपूर्ण रूप से या अंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग में लायी जाती है और अकेले एक व्यक्ति द्वारा या अन्य लोगों के साथ एक तकनीकी इकाई के रूप में प्रचालित की जाती है" के रूप में परिभाषित की गई है।) नवीनतम कृषि संगणना 2010-11 के परिणामों के अनुसार, देश में कुल प्रचालनात्मक जोतों की संख्या 138.55 मिलियन है। कृषि संगणना से संबंधित परिणाम, रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक प्रयोग के लिए विभाग की वेबसाइट http://agcensus.nic.in (ऑनलाईन डाटाबेसिस, डॉक्युमेंटस आदि के लिंक) पर उपलब्ध हैं।

3. फिर भी, यह प्रभाग देश में किसानो को आबंटित बजट के डाटा का रखरखाव नहीं करता है। किसानों को बजट आवंटन से संबंधित सूचना के लिए इस विभाग के बजट, वित्त एवं लेखा प्रभाग को आवेदन हस्तांतरित किया जा रहा है।

4. यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकते हैं। अपील प्राधिकारी के ब्यौरें नीचे दिए गए हैं:-

डॉ. ममता सक्सेना,
उपमहानिदेशक (कृषि संगणना),
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न. 344, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001.

भवदीय,
चन्द्रमणि शर्मा 24/5/16
(डॉ. चन्द्रमणि शर्मा)
निदेशक (कृ.सं.) एवं सीपीआईओ

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीपीआईओ, बजट, वित्त एवं लेखा प्रभाग डीएसी एंड एफडब्ल्यू को इस अनुरोध के साथ कि किसानों आदि को बजट/ वित्त आवंटन पर संबंधित मुद्दों के संबंध में आवेदक को सीधे सूचना भेजने के लिए वित्त एवं लेखा प्रभाग डीएसी एंड एफडब्ल्यू को आरटीआई अधिनियम, 2005 के खंड 6 के खंड (3) (ii) के तहत इस सूचना के साथ आरटीआई आवेदन पंजीकरण सं. डीओए एंड सी/आर/2016/00693 (प्रति संलग्न) हस्तांतरित किया जा रहा है।
2. अनुभाग अधिकारी (आरटीआई), डीएसी एंड एफडब्ल्यू को सूचनार्थ।
3. एनआईसी, डीएसी एंड एफडब्ल्यू को वेबसाइट पर उत्तर अपलोड करने हेतु।

चन्द्रमणि शर्मा 24/5/16
(डॉ. चन्द्रमणि शर्मा)
निदेशक (एसी) एवं सीपीआईओ